

राजस्थान सरकार  
नगरीय विकास विभाग

क्रमांक: ग. 5131नविधि/3/2000,

जयपुर, दिनांक: 14.12.2000

सचिव,

नगर विकास न्यास,  
समस्त, 21.12.02

विषय:- नगरीय क्षेत्रों में कृषि भूमि के आवासीय  
वाणिज्यिक उपयोग के नियमन आर्पटन बाबत।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि कतिपय संस्थाओं द्वारा  
पह जानकारी नहीं गई है कि:-

1. कृषि भूमि के नियमन से संबंधित जो राशि भी जानी है वह भू राजस्व  
अधिनियम 1956 की धारा 90ख के तहत खातेदारी अधिकारियों को  
पयावतन से पूर्व जमा की जाने अध्या बाट में।
2. पट्टे जारी करने पर पट्टे पर कौन अधिकारी हस्ताक्षर करने के लिए  
अभिज्ञ होंगे।

इस सम्बन्ध में राजस्थान विधिसंग्रह अधिनियम 1999 के  
द्वारा भू राजस्व अधिनियम 1956 में जोड़ी गयी धारा 90ख में कृषि  
भूमि के नियमन के सम्बन्ध में पूर्ण प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है जिसके  
अनुसार खातेदारी अधिकारियों का पयावतन के उपरान्त ही नियमन राशि  
जमा किया जाना उपयुक्त होगा।

विन्दु 2 के सम्बन्ध में स्थिति स्पष्ट की जाती है कि कृषि भूमि  
नियमन की कार्यवाही के उपरान्त जारी किये जाने वाले पट्टे पर सचिव,  
नगर विकास न्यास तथा नगर परिषद/निगम/नगरपालिका क्षेत्र के पुरखों में सम्बन्धित  
आयुक्त/अधीनस्थ अधिकारी/मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर  
किये जायेंगे।

भवदीय,

उप शासन सचिव,

प्रतिलिपि:-

1. निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग को प्रेषित कर लेख है कि इसकी  
प्रतिलिपि समस्त नगर परिषद/निगम/नगरपालिकाओं को अपने  
साथ से भिजवाने की व्यवस्था करें।
2. अधीनस्थ अधिकारी नगर पालिका सवाई माधोपुर को सूचनाय  
प्रेषित है।

उप विधि परामर्शी,